उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955¹ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956)

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION) ACT, 1955¹
[U. P. ACT No. III OF 1956]

उत्तर प्रदेश चल—चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955¹ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956)

उ०प्र० अधिनियम, संख्या ४२,१९५८ उ०प्र० अधिनियम, संख्या २७,१९७४ द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1954 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 10 जनवरी, 1956 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 23 जनवरी, 1956 ई0 की प्रकाशित हुआ।}

चल-चित्र यंत्र (और वीडियो) द्वारा प्रदर्शन के विनियम की व्यवस्था करने की

अधिनियम

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में चल-चित्र यंत्र (और वीडियो) द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था की जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

- 1——(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल—चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 कहलायेगा।
- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा कि जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति² प्रकाशित करके निश्चित करें।
 - 2-- इस अधिनियम में, विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर -
 - {(क) ''अपील प्राधिकारी'' का तात्पर्य जब अपील ⁷{आयुक्त राज्य कर}, उत्तर प्रदेश के आदेश के विरूद्ध की जाय तो राज्य सरकार से और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध की जाय तो प्रभागीय आयुक्त से, है;}⁵
 - {(कक) ''वीडियो द्वारा प्रदर्शन'' का तात्पर्य चलने वाले चित्रों अथवा चित्राविलयों के पूर्व में रिकार्ड किए गए कैसेट को, चाहे टेलीविजन सेट या वीडियो स्कोप के स्कीन पर या अन्यथा वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा चलाकर या पुनः चलाकर प्रवेश के लिए भुगतान लेकर सार्वजनिक प्रदर्शन से है;

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, किसी जलपान गृह या होटल या सार्वजिनक परिवहन गाड़ी में वीडियो द्वारा प्रदर्शन को प्रवेश के लिए भुगतान लेकर किया गया प्रदर्शन समझा जायेगा चाहे ऐसे प्रदर्शन में प्रवेश के लिए भुगतान, यथास्थिति, जलपान या भोजन या कमरे का किराया या यात्री भाड़ा या अन्य किसी प्रभार के लिए भुगतान से सुभिन्न रूप में लिया गया हो या नहीं;}

{(क-2) मल्टीप्लैक्स से वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन सम्बंधी सुविधाओं से युक्त एक ही परिसर के भीतर दो या दो से अधिक सिनेमाहॉलों के समूह या समुच्चय अभिप्रेत है;}⁶

 उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 5 दिसम्बर, 1954 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

- 3. उ०प्र० अधिनियम सं० २१ वर्ष १९८६ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
- 5. उ०प्र० अधिनियम सं० ३२ वर्ष १९९५ की धारा २ द्वारा अन्तःस्थापित।
- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
- 7. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

परिभाषाएं

^{2.} यह विज्ञप्ति सं0 1633-ए/3-7(47)—52 दिनांक 23 जून, 1956 द्वारा दिनांक 25 जून, 1956 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रचलित हुआ।

धारा 3-5

- (ख) "अध्यासी"(occupier) के अन्तर्गत प्रबंधक अधिकर्ता(managing agent) अथवा अध्यासी के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकृत अथवा उसकी ओर से स्थान का अवधान(charge), प्रबंध अथवा नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति है ;
- (ग) ''स्वामी'' के अन्तर्गत, जब यह किसी स्थान के अभिदेश में हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अध्यासी से किराया पाता हो अथवा उसके पाने का अधिकार रखता हो।
- (घ) 'स्थान'' के अन्तर्गत गृह, इमारत, खेमा अथवा अन्य कोई ढांचा तथा किसी भी प्रकार का परिवहन(Transport) चाहे कुछ भी न हो, है;
- (ड) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है; तथा
 - (च) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;
- (छ) ''वीडियो पुस्तकालय'' का तात्पर्य किसी ऐसे संस्थान से है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जहां वीडियो कैसेट में रिकार्ड की गई चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों को बेचने या किराये पर देने या वितरण या विनियम करने या चाहे किसी भी प्रकार से परिचलन में लाने का कारोबार किया जाता हो।}
- [3— उस स्थिति को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा की गई है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न किसी स्थान पर या ऐसे लाइसेंस द्वारा आरोपित शर्तों और निर्बन्धनों का अनुपालन किये बिना—

लाइसेंस

- (क) चल-चित्र यंत्र द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करेगा; या
- (ख) वीडियो द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करेगा; या
- (ग) कोई वीडियो पुस्तकालय नहीं रखेगा।}³
- 4— इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने का अधिकार रखने वाला प्राधिकारी (जिसे यहां पर आगे चल कर लाइसेंस प्राधिकारी(licensing authority) कहा गया है), डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा:

लाइससें देने वाला प्राधिकारी

िकन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी की ऐसी शक्तियां, जिसे वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, आमोद—कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश को या तो डिकस्ट्रिक मजिस्ट्रेट के साथ—साथ अथवा उसे अपवर्जित करके प्रदत्त कर सकती है:

अग्रतेर प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी कोई शक्ति डिकस्ट्रिक मजिस्ट्रेट और आमोद—कर आयुक्त दोनों द्वारा प्रयोजन हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे को अपने द्वारा दिये गये समस्त आदेशों से सूचित करेगा, और उनमें आपस में किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वह विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।}

5—— (1) लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि वह निम्नांकित के विषय में संतुष्ट न हो कि ——

(क) इस अधिनियम के अधीन बने नियम तत्वतः(substantially) अनुपालन किये गये है. तथा

लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के अधिकारों पर निरोध

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० ७ वर्ष १९७७ की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1986 की धारा 4 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।

उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(कक) भवन या वह अन्य स्थान जहां चल–चित्र यंन्त्र द्वारा प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो –

- (1) राजभवन, राज्य सरकार के सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्व परिषद् से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर स्थिति है ;
- (2) अन्य सार्वजनिक भवनों और मान्यता प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक अस्पतालों से ऐसा न्यूनतम दूरी पर स्थित है, जो नियत की जाय ;
- (3) ऐसे क्षेत्र में स्थिति नहीं है, जो अनन्यतः आवासिक प्रकार का हो अथवा अनन्यतः आवासिक प्रयोजनों के लिए आररिक्षत हों;} और
- (ख) उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेंस देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त पूर्वावधान(Precautions) रखे गये है;

{(खख) कोई जलपान गृह उस स्थान में नहीं चलाया जाता है, जहां वीडियो द्वारा कोई प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो;

स्पष्टीकरण— इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ठहरने वालों द्वारा अध्यासित किये जाने वाले कमरों में वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिए किसी होटल को लाइसेन्स दिये जाने से रोकता है। 4

{(ग) लाइसेंस का दिया जाना अथवा लोकहित के प्रतिकूल नही है।}²

स्पष्टीकरण— (1) विभिन्न वर्ग के सार्वजनिक भवनों, संस्थाओं, तथा अस्पतालों के सम्बन्ध में खण्ड (कक) के उपखण्ड (2) के अधीन निभिन्न न्यूनतम दूरियों नियत की जा सकती है।

- (2) खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए दूरी, चलचित्र के भवन के हाते की बाहरी सीमा से, उक्त खण्ड में उल्लिखित अन्य भवन के हाते की, यदि कोई हो, बाहरी सीमा तक नापी जायेगी।
- (2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार नियंत्रण एवं सामान्य जनता के हित का पालन करते हुए लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिबन्धों और ऐसी शर्तों पर और ऐसे निरोधों के अधीन, जिन्हें वह अवधारित करे तथा ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किया जाय, लाइसेंस दे सकता है।
- (3) लाइसेंस प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस न देने के निर्णय से सुब्ध(aggrieved) कोई भी व्यक्ति, उस अविध के भीतर, जो नियत की जाय, {अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है, और अपील प्राधिकारी}⁵ इस मामले में ऐसा आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझें.

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० २७, १९७४ की धारा २(१) द्वारा बढ़ाया गया।

^{2.} उपरोक्त की धारा 2 द्वारा (2) बढ़ाया गया।

^{3.} उपरोक्त की धारा 2 द्वारा (3) बढ़ाया गया।

^{4.} उ०प्र० अधिनियम सं० 12 वर्ष 1989 के अध्याय—दो की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

^{5.} उ०प्र० अधिनियम सं० ३२ वर्ष १९९५ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 6-6क)

- (4) किसी फिल्म अथवा फिल्म वर्ग के प्रदर्शन के विनियमन के प्रयोजन से राज्य सरकार समय—समय पर सामान्यतया लाइसेंस गृहीताओं की अथवा किसी विशेष लाइसेंस गृहीता को ऐसे दे सकती है, जिससे वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षार्थ फिल्मों(films intended for educational purposes) तथा समाचारों एवं वर्तमान घटनाओं से संबद्ध फिल्मों, वर्णनात्मक(documentary films फिल्मों एवं स्वदेश में निर्मित्त फिल्मों के प्रदर्शन को उपयुक्त अवसर प्राप्त हो तथा जब भी कोई आदेश जारी किये जाय, तो उनके विषय में समझा जायगा कि वे उन शर्तों और निरोधों(conditions and restrictions) के अतिरिक्त(additional) है, जिनके अधीन लाइसेंस दिया गया था।
- 6—(1) यदि राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जैसी भी दशा हो, राय हो कि किसी फिल्म से, जिसका सार्वजिनक प्रदर्शन हो रहा है, शांति भंग होने की संभावना है राज्य सरकार, समस्त उत्तर प्रदेश अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, तथा डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जिले के सम्बन्ध में, आज्ञा देकर फिल्म के प्रदर्शन को स्थागित कर सकते है। तत्पश्चात् ऐसे स्थिगत काल में राज्य, उसके भाग अथवा संबद्ध जिले के भीतर, सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, 1952 के अधीन दिये गये सर्टीफिकेट के होते हुए भी, फिल्म प्रदर्शित नहीं की जायगी।

राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कुछ मामलों में फिल्म का प्रदर्शन स्थगित करने का अधिकार

1952 का अधिनियम संख्या 37 करने का /

- (2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट [* * *]¹ द्वारा दी जाय तो उसको एक प्रति तत्सम्बन्धी कारणों के विवरण सहित उसके द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त भेजी जायेगी, जो उस आज्ञा को पुष्ट अथवा उत्सर्जित(confirm or discharge) कर सकती है।
- (3) इस धारा के अधीन दी गयी स्थगत की आज्ञा, उसके दिनांक से दो मास तक प्रचिलत रहेगी, किन्तु यदि राज्य सरकार की राय में उसका जारी रहना आवश्यक हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि स्थगन आगे ऐसी अवधि तक, जिसे वह उचित समझें, बढ़ा दिया जायगा।
- [6-क— {(1) लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता से, जो आवश्यक हो, किसी ऐसे स्थान में, जिसका प्रयोग सामान्यतया चल—चिल यंत्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिए या वीडियो पुस्तकालय रखने के लिए किया जाता हो या जिसका इस प्रकार प्रयोग किये जाने का संदेह हो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है {और ऐसी फिल्मों और वीडियो के सेटों को, जो उनका उल्लंघन करके प्रदर्शित करते हुए या रखे गए पाए जाएं, अभिगृहीत कर सकता है।}

निरीक्षण

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का संदेह हो, अपना नाम और पता तुरन्त बताने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करे या बताने में विफल रहे या यदि अधिकारी को उस पर मिथ्या नाम और पता बताने का समुचित सन्देह हो तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और निकटतम पुलिस थाने में निरूद्ध कर सकता है या करा सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 के उपबन्ध लागू होंगे।}²

^{1,} उ०प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1986 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित। 2,उ०प्र० अधिनियम सं० 32 वर्ष 1995 की धारा 4 (क) द्वारा अन्तःस्थापित।

(धारा 7)

- {(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को चलचित्र यंत्र या वीडियो द्वारा किसी ऐसे प्रदर्शन को, जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया जा रहा हो, रोकने की शक्ति होगी और वह इस प्रयोजन के लिये उतने न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है, जितना वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे।}²
- {(5) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत प्रत्येक फिल्म या वीडियो कैसेट यथाशक्य शीघ्र, अधिकारितायुक्त न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा, जो उसकी समुचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
- (6) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत फिल्में और वीडियो कैसेट अधिकारितायुक्त न्यायालय के किसी आदेश द्वारा जब्त की जा सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक अभिग्रहण के दिनांक से एक मास का समय व्यतीत न हो जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उस पर किसी अधिकार का दावा करे, सुन न लिया जाय और साक्ष्य पर, यदि कोई हो, जिसे वह अपने दावे के सम्बन्ध में प्रस्तुत करे, विचार न कर लिया जाय, जब तक जब्ती का कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

- 7—— {(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 5 के अधीन कोई लाइसेंस दिया गया हो, तो उसे
 - (1) राज्य सरकार द्वारा, जहां लाइसेंस सरकार ने या लाइसेंस प्राधिकारी ने दिया हो ;
 - (2) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, जहां लाइसेंस ऐसे प्राधिकारी ने दिया हो, लोकहित में निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।
- (1–क) विशिष्टितः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई लाइसेंस उस उपधारा अधीन निम्नलिखित में से किसी आधार पर निरस्त किया जा सकताा है या वापस लिया जा सकता है, अर्थात् : —
 - (क) लाइसेंस छल से अथवा दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया था; या
 - (ख) धारा 5 के अधीन, यथास्थिति, आवेदन—पत्र या अपील पर अपील पर विचार करते समय, लाइसेंस प्राधिकारी या [अपील प्राधिकारी]⁴ ने किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में भूल की हो लाइसेंस देने या न देने के सम्बन्ध में अत्यावश्यक हो ; या
 - (ग) लाइसेंस गुहीता इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अथवा लाइसेंस में अन्तर्विष्ट किन्ही शर्तों अथवा निरोधों के, अथवा धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन का दोषी हों ;या
 - (घ) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस का जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिए अहितकर समझा जाता है; या
 - (ङ) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन अथवा सिनेमैटीग्राफ ऐक्ट, 1952 की धारा 7 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो।}¹

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० २७, १९७४ की धारा ३ (१) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० 12 वर्ष 1989 के अध्याय—दो की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम सं० 32 वर्ष 1995 की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाए गए।

उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 8

(2) जब राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की राय हो कि धारा 5 के अधीन दिया हुआ लाइसेंस {***} निरस्त कर देना चाहिये अथवा वापस ले लेना चाहिए तो वह यथाशीघ्र लाइसेंस गृहीता को वह आधार बतलायेंगे, जिनके अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसे उसके विरुद्ध निवेदन—पत्र(representation) प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेंगे:

्प्रितिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की अग्रेतर राय हो कि किये जाने के लिये प्रस्वावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण पूरा नहीं हो सकेगा तो वह प्रस्तावित कार्यवाही करने के आधार को लाइसेंस गृहीता को उपर्युक्त प्रकार से बतलाते समय उसके अथवा उसके उपरान्त लाइसेंस स्थागित करने का अन्तरिम आदेश अभ्यन्तर काल में दे सकता है। 32

- (3) यदि निवेदन—पत्र पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, संतुष्ट हो कि लाइसेंस $\{xxx\}^3$ निरस्त अथवा वापस होना चाहिए तो वह तदनुसार आज्ञा देगी और उसे तत्सम्बन्धी लिखित आधारों के साथ लाइसेंस गृहीता को बतलायेगी।
- (4) यदि (उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन लाइसेंस स्थिगित करने या उपधारा (3) के अधीन उसे निरस्त करने अथवा वापस लेने}⁴ की आज्ञा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, तो उक्त आज्ञा द्वारा क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा प्राप्त होने से तीन दिन के भीतर (अपील प्राधिकारी) के पास अपील कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह उचित समझें ।
 - (5) {अपील प्राधिकारी} की आज्ञा अन्तिम (final) होगी।

[8— यदि किसी चलचित्र यंत्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है या प्रयोग करने देता है, या यदि किसी स्थान का स्वामी या अध्यायी चल—िचत्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन के लिए उस स्थान का प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है या यदि कोई व्यक्ति वीडियो द्वारा प्रदर्शन करता है या वीडियो पुस्तकालय रखता है, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का या उन शर्तों और निर्बन्धनों का जिन पर या जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लघंन होता है तो वह (ऐसी अवधि के लिए, जो छः मास तक हो सकती है, साधारण कारावास से या जुर्माने से, पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से] अर अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहे, पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या द्वारा आरोपित अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में ऐसे अधिकारी को अन्यथा बाधा डालता है तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।}⁵

शास्ति

- 1. उ० प्र0 अधिनियम सं० २७, १९७४ की धारा ३ (२) (क) द्वारा निकाले गये।
- 2. उ० प्र० अधिनियम सं० २७, १९७४ की धारा ३ (२) (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
- 3. उपर्युक्त की धारा 3 (3) द्वारा निकाला गया।
- 4. उपर्युक्त की धारा 3 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
- 5. उ०प्र० अधिनियम सं० २१ वर्ष १९८६ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित।
- 6. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 वर्ष 1989 के अध्याय-दो की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
- 7. उ०प्र० अधिनियम सं० ३२ वर्ष १९९५ की धारा ५ (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{धारा 8क—10}

[8-क—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, अपराध के लिये नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

अपराधों का शमन

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन--

- (क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगाः
- (ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति होगा।}¹
- 9— (1) यदि अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी का अवधायक(incharge) तथा कम्पनी के कार्य के संचालनार्थ कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहा हो तथा कम्पनी भी अपराध के दोषी समझें जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तद्नुसार दंडनीय होंगे :

कम्पनियों द्वारा अपराध

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो यह प्रमाणित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध के प्रतिरोध के लिए पर्याप्त श्रम किया है (exercised all due dillgence) दण्डनीय न होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति अथवा उपेक्षाconsent से अथवा किसी ऐसे अनवधानवश(neglect) हुआ है जो उस पर आरोप हो, तो उक्त डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा वह तद्नुसार दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

- (क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगम निकाय(body corporate) से है तथा उसके अन्तर्गत व्यवसास संघ(firm) अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था है;(association) तथा
- (ख) व्यवसाय संघ के सम्बन्ध में 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य व्यवसाय संघ के भागीदार(partner) से है।

10— राज्य सरकार, सामान्य जनता अथवा उसके किसी वर्ग के हित में, उन शर्तों और निरोधों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करे, {िकसी चल—िचत्र यंत्र या वीडियो द्वारा किसी प्रदर्शन या प्रदर्शन के वर्ग या किसी वीडियो पुस्तकालय} को इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के किसी उपबन्ध से लिखित आज्ञा द्वारा तथा उसके लिए कारण बतलाये हुए विमुक्त(exempt) कर सकती है।

विमोचन का अधिकार

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० २१ वर्ष १९८६ की धारा ७ द्वारा बढ़ाया गया।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

11— (1) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने गये नियमों के अधीन दी गई समझी गई आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के विषय में कोई भी बार, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or legal proceeding) नहीं हो सकेगी। धारा 11—13} इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यो का संरक्षण

- (2) राज्य सरकार के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गई अथवा दी गई समझी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के कारण उत्पन्न क्षति(damage) अथवा सम्भाव्य क्षति के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाही न हो सकेगी ।
- 12—— (1) सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, 1918 जहां तक इसका सम्बन्ध चल—चित्र यंत्र की फिल्मों के प्रदर्शन की स्वीकृति से भिन्न विषयों से है, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश में जहां तक इसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त (repeal)किया जाता है।

निरसन अधिनियम सं0 2 वर्ष 1918

(2) सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, 1918 के अधीन [बनाये गये नियम या दी गई कोई आज्ञा] 1, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हों, प्रचलित रहेगी और उसे इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम या दी गई आज्ञा समझा जायगा और ऐसे (किसी किसी नियम आज्ञा) के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेन्स, आरोपित शर्त या निरोध(condition or restrictions) तथा प्रचारित आदेश, जो उक्त प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हों, यथावत् प्रचलित रहेंगे। और इस अधिनियम के अनुसार की गई, दिये गये, आरोपित अथवा प्रचारित समझे जायेंगे।

अधिनियम सं0 2 वर्ष 1918

13—— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए $\left\{ xxx \right\}^2$ नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार

- (2) पूर्वगामी अधिकार की सामान्यतया को बाधित न करते हुए इन नियमों में विशेषतः निम्नलिखित के निमित्त व्यवस्था की जा सकती है –
 - (क) उन स्थानों की स्थिति तथा उनके विनियमन, जहां तथा वे शर्तें, जिनके अधीन {चल—चित्र यंत्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन किये जायेंगे या वीडियो पुस्तकालय रखे जायेंगे}⁴;
 - {(कक) शमन प्रभार पांच लाख रूपये से अधिक नहीं होगा, जिसकी आदयगी करने पर धारा 10 के अधीन ऐसे नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान की जा सकेगी जो चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शन के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थान या भवन से सम्बंधित है;}
 - (ख) ${\{ {
 m g} + {
 m g} = {$
 - (ग) स्थानों विद्युत तथा अन्य उपकरणों(appliances) एवं प्रतिष्टानों(installation) के निरीक्षण शुल्क ;
 - (घ) प्रतिबन्ध, शर्त(condition) तथा निरोध, जिनके अधीन लाइसेन्स दिये जाय ;

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० २७, १९७४ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा निकाले गये।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम सं० २१ वर्ष १९८६ की धारा ९ (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4.} उपर्युक्त की धारा 9 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{5.} उ०प्रं अधिनियम संo 12 वर्ष 1989 के अध्याय-दो की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

^{6.} उत्तराखण्ड अधिनियम सं० २४ वर्ष २०१६ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 13)

- (ङ) विद्युत उपकरणों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण;
- (च) अवधि और शर्तें, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य—शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल 30 दिन की अविध पर्यन्त रखें जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अविध में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्व नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० २७, १९७४ की धारा ५ (ख) द्वारा बढ़ायी गयी।

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION) ACT, 1955¹ [U. P. ACT No. III OF 1956]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 23, 1954 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 12, 1955.

Received the assent of the Governor on January 10, 1956 under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary dated January 23. 1956.]

AN ACT

to make provisions For regulating exhibitions by means of cinematographs [and video]³

WHEREAS it is expedient to make provisions for exhibitions by means of cinematographs [and video]³ in the State of Uttar Pradesh;

It is hereby enacted as follows:

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.
 - (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
 - (3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification² in the official Gazette, appoint.

Definition

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,--
 - [(a) "appellate authority" means the State Government when the appeal is preferred against an order of the ⁷[Commissioner State Tax], Uttar Pradesh, and the Division Commissioner when the appeal is preferred against an order of the District Magistrate;]⁵
 - [(aa) 'exhibition' by means of video means an exhibition in public on payment for admission of moving pictures or series of pictures by playing or replaying a pre-recorded cassette by means of a video cassette player whither on the screen of a television set or video scope or otherwise;
 - Explanation— For the purposes of this clause exhibition by means of video in any restaurant or hotel or public transport vehicle shall be deemed to be on payment for admission whether or not payment for admission to such exhibition is charged distinctly from the payment for refreshment or meals or room rent or fare or any other charges, as the case may be;]⁴
 - {(a-2) "Multiples" means a group of two or more than two cinemas halls or aggregate within a campus with the commercial, cultural and other entertainment facilities;}
 - 1. For Statement of Objects and Reasons, see Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated December 15, 1954.
 - 2. It come into force in the whole of Uttar Pradesh, on June 25, 1956 vide notification no. 1633-A/IIII—7(47)/52, dated June 23, 1956.
 - 3. Subs by U.P. Act No. 7 of 1977
 - 4. Subs by section 3 of U.P. Act No. 21 of 1986
 - 5. Subs by U.P. Act No. 21 of 1986
 - 6. Ins. by section 2 of UK Act no 24 of 2016.
 - 7. Subs. by section 2 of UK Act no 5 of 2018.

[The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955] [Section 3-5]

- (b) "occupier" includes a managing agent or other person authorized to represent the occupier or having charge, management or control of the place on his behalf;
- (c) "owner" used with reference to any place includes any person receiving or entitled to receive the rent from the occupier;
- (d) "place" includes a house, building, tent or other structure and any description of transport whatsoever;
- (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and
- (f) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;
- [(g) 'Video library' means a place, by whatever name called, where the business of selling or letting on hire or distribution or exchange or putting into circulation in any manner whatsoever, of moving pictures or series of pictures recorded on a video cassette if carried on.]²

[Licence

- 3. Save as otherwise provided in this Act, no person shall—
 - (a) give an exhibition by means of cinematograph; or
 - (b) give an exhibition by means of video; or
 - (c) keep a video library;

elsewhere than in a place licensed under this Act or otherwise than in compliance with the conditions and restrictions imposed by such licence.]³

Licensing Authority

4. The authority having power to grant licence under this Act (hereinafter referred to as the licensing authority) shall be the district magistrate:

[Provided that the State Government may, by notification in the, Gazette confer upon the Entertainment Tax Commissioner, Uttar Pradesh for the whole or any part of the state, such of the powers of the licensing authority under this Act, as it may specify in the notification, either concurrently with or to the exclusion of the District Magistrate:

Provided further that where any of such powers are exercisable concurrently by the District Magistrate and the Entertainment Tax Commissioner each of them shall keep the other informed of all orders passed by him, and in case of difference of opinion between them on any matter a reference shall be made to the State Government whose decision shall be final.]

Restrictions on the powers or Licensing authority

- 5. (1) The licensing authority shall not grant a licence under this Act, unless it is satisfied that-
 - (a) the rules made under this Act have been substantially complied with, and
 - 1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 7 of 1977.
 - 2. Added by section 4 (c) of U.P. Act No. 21 of 1986.
 - 3. Subs. by section 5 ibid.

[The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955] [Section 5]

- [(aa) the building or other place in which cinematograph exhibition proposed to be given-
 - (1) is situated at a distance of not less than 200 metres from the Raj Bhawan, the State Government Secretariat, the High Court, the State Public Service Commission or the Board of Revenue;
 - (2) is situated at such minimum distance as may be prescribed from other public buildings and from recognized educational and other public institutions and public hospitals;
 - (3) is not situated in a locality which is exclusively residential m character or is reserved exclusively for residential purposes; and]¹
- (b) adequate precautions have been taken in the place, in respect, of which the licence is to be given, to provide for the safety of persons attending exhibitions therein:
- [(bb) no restaurant is run in the place in which exhibition by means of video is proposed to be given;
- Explanation—Nothing contained in this clause shall be construed so as to prevent licence being granted to any hotel for exhibition by means of video in the rooms to be occupied by the ledgers.]⁴
- [(c) the grant of licence is not otherwise contrary to the public interest.]²

[Explanation-(l) Different minimum distances may be prescribed under sub-clause (n) of clause (aa) in relation to different classes of public buildings, institutions and hospitals,

- (2) For purposes of clause (aa), the distance shall be measured from the outer boundary of the compound of the cinema building to the outer boundary of the compound, if any, of the other building mentioned in that clause.]³
- (2) Subject to the foregoing provisions of this section and to the control of the State Government and the interests of the general public, the licensing authority may grant licences under this Act on such terms and conditions and subject to such restrictions as it may determine and on payment of such fees as may be prescribed.
- (3) Any person aggrieved by the decision of a licensing authority refusing to grant a licence under this Act may, within such time as may be prescribed; appeal to [the appellate authority and the appellate authority]⁵ may make such order in the case as it thinks fit.
 - 1. Ins by section 2 (i) of U.P. Act No. 27 of 1974.
 - 2. Added by section 2 (ii) ibid.
 - 3. Add by section 2 (iii) ibid.
 - 4. Chapter-II added by section 2 of U.P. Act No. 12 of 1989.
 - 5. Substituted by section 3 U.P. Act No. 32 of 1995.

[The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955] 6-6A]

[Section

(4) The State Government may, from time to time, Issue directions to licensees generally or to any licensee in particular for the purpose of regulating the exhibition of any film or class of films so that scientific films, films intended for educational purposes, films dealing with news and current events, documentary films or indigenous films secure an adequate opportunity of being exhibited and where any such directions have been issued, those directions shall be deemed to be additional conditions and restrictions subject to which the licence has been granted.

Power of the State Government or District Magistrate to suspend exhibition of films in certain cases

Act XXXVII of

1952

6. (1) The State Government, in respect of the whole of the State of Uttar Pradesh or arty pint thereof; and the District Magistrate in respect of the district within his jurisdiction, may, if it or, he, as the case may-be, is of opinion that any film which is being publicly exhibited, is likely to cause a breach of the peace, by order, suspend the exhibition of the films and thereupon the films shall not during such suspension be exhibited in the State, part of the district concerned, notwithstanding the certificate granted under the Cinematograph Act, 1952.

(2) Where an order under sub-section (1) has been made by a District Magistrate [***]¹ a copy thereof together with a statement of reasons thereof shall forthwith be forwarded by him to the State Government which may either confirm or discharge the order.

(3) An order of suspension made under this section, shall remain in force for a period of two months from the date thereof, but the State Government may, if it is of opinion that the order should continue in force, direct that the suspension shall be extended by such further period as it thinks fit.

[Inspection

- 6-A [(1) The Licensing Authority or any other officer authorized by him in this behalf may, with such assistance as may be necessary, enter, inspect and search at any reasonable time, any place ordinarily used or suspected to be used, for exhibition by means of cinematograph or video, or for keeping video library, with a view to securing compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder [and many seize such films and video cassettes as are found being exhibited or kept in contravention thereof.]³
 - (2) Every officer, referred to in sub-section (1), shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
 - (3) Every officer, referred to in sub-section (1), may require a person who is suspected of contravening any of the provisions of this Act or rules made thereunder, to declare immediately his name and address, or if the officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the officer may arrest him and detain or get him detained at the nearest police station and the provisions of section 42 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply.]²
 - 1. Deleted by section 9 of Second Schedule to U.P. Act No. 42 of 1958.
 - 2. Substituted by section 6 of U.P. Act No. 21 of 1986.
 - 3. Substituted by section 4 (a) of U.P. Act No. 32 of 1995.

[The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955] [Section 7]

- [(4) Every officer referred to in sub-section (1) shall have the power to prevent any exhibition by means of cinematograph or video being given in contravention of the provisions of section 3 and may, for that purpose, use such minimum force as he may consider necessary in the circumstances of the case.]²
- [(5) Every film or video cassette seized under sub-section (1), shall, as soon as may be, be produced before the court having jurisdiction which may make such order as it thinks fir for its proper custody.
- (6) Films and video cassettes seized under sub-section (1) shall be liable to confiscations by an order of the court having jurisdiction:

Provided that no order of confiscation shall be made until the expiration of one month from the date of seizure, and without hearing any person who may claim any right thereto and considering the evidence, if any, which he produces in respect of his claim.]³

- 7. [(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where a licence has been granted under section 5, it may be cancelled or revoked in the public interest-
 - (1) by the State Government, where the licence was granted by the Government or by the licensing authority;
 - (2) by the licensing authority, where the licence was granted by such authority.
 - (1-A) In particular and without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), a licence may be cancelled. or revoked under that subsection -on any of the following grounds, namely:-
 - (a) that the licence was obtained through fraud or misrepresentation; or
 - (b) that the licensing authority or the [appellate authority]⁴ while considering the application or appeal, as the case may be, under section 5 was under a mistake as to a matter essential to the question of grant or refusal of licence; or
 - (c) that the licensee has been guilty of breach of the provisions of this Act or the rules made thereunder or of any conditions or restrictions contained in the licence, or of any direction issued under sub-section (4) of section 5; or
 - (d) that on account of any change occurring in the situation of the place licensed, the continuance of the licence is considered prejudicial to decency or morality; or
 - (e) that the licensee has been convicted of any offence under section 8 of the this Act or section 7 of Cinematograph Act, 1952.]¹
 - 1. Subs by section 3 (i) of U.P. Act No. 27 of 1974.
 - 2. Added by section 3 of U.P. Act No. 12 of 1989.
 - 3. Added by section 4 (b) of U.P. Act No. 32 of 1995.
 - 4. Substituted by section 5 (a) ibid.

[The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955] [Section 8]

(2) Where the State Government or the licensing authority is of the opinion that a licence granted under section 5 should be [***]² cancelled or revoked, it shall, as soon as may be, communicate to the license the grounds on which the action is proposed to be taken and shall afford him a reasonable opportunity of making a representation against it:

[Provided that where the State Government or the licensing authority, as the case may be, is further of the opinion that the object of the action proposed to be taken would be' defeated by delay, it may, while or after communicating-to the licensee, as aforesaid, the grounds on which the action is proposed, pass an interim order suspending the licence in the meantime.]¹

- (3) If after considering the representation, the State Government or the licensing authority as the case may be, is satisfied that the licence should be [***]² cancelled or revoked, it may make an order accordingly and shall communicate it to the licensee stating in writing the grounds therefore.
- (4) Where the order [suspending a licence under the proviso to sub-section (2) or canceling or revoking it under sub-section (3)]³ has been passed, by a, licensing authority, any person aggrieved by the order may, within, thirty days of the communication of such order to him, appeal to the [appellate authority]³, which may pass such order as it may think fit.
- (5) The order of the [appellate authority]³ shall be final.

[Penalty

- 8. (1) If the owner or person incharge of a Cinematograph uses or allows it to be used, or, if the owner or occupier of a place permits that place to be used, for exhibition by means by cinematograph, or if a person give exhibition by means of video or keeps a video library, in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, or of the conditions and restrictions upon or subject to which licence has been granted under this Act, he shall be punishable [with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both]⁵, and in the case of continuing offence with a further fine which may extend to five hundred rupees for each day during which the offence continues.
 - (2) If any, person prevents the entry of any officer duly authorized in this behalf, or otherwise obstructs such officer in the discharge of his duties imposed by or under this Act or the rules made thereunder, he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.]⁴

^{1.} Omit by section 3 (ii) (a) ibid. of U.P. Act No. 27 of 1974.

^{2.} Substituted by section 3 (ii) ibid.

^{3.} Omitted by section 3 (iii) ibid.

^{4.} Subs. by section 3 (iv) ibid.

^{5.} Subs. by section 7 of U.P. Act No. 21 of 1986.

^{6.} Chapter-II subs. by section 4 of U.P. Act No. 12 of 1989.

^{7.} Subs. by section 5 (b) of U.P. Act No. 32 of 1995.

^{8.} Substituted by section 5 (c) ibid.

[The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955] 8A-10]

[Section

Compounding of Offences

- 8-A (1) Any offence punishable under this Act may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded by the Licensing Authority, either before or after the institutions of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.
 - (2) Where the offence is so compounded
 - (a) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if any custody, be set at liberty;
 - (b) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender.]¹

Offences by companies

9. (1) If the person committing any offence under this Act is a company, every person who at the time the offence was, committed was in charge if was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and published accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge of that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director or manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation- For the purposes of this section-

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals : and
- (b) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

Power to exempt

10. The State Government may, in the interests of the general public or any section thereof, by order in writing and stating the reasons therefore

, exempt subject to such conditions and restrictions as it may impose, [any exhibition or class of exhibitions by means of cinematograph or video or any video library]² from any of the provisions of this Act or any rules made thereunder.

- 1. Added by section 7 of U.P. Act No. 21 of 1986.
- 2. Subs. by section 8 ibid.

[The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955]

[Section 11-13]

Protection of action taken under the Act

- 11. (1) No suit prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order-made or deemed to be made under this Act or the rules made thereunder.
 - (2) No suit or legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made or deemed to be made under this Act or the rules made thereunder.

Repeal Act II of 1918

12.

(1) The Cinematograph Act, 1918 in so far as it relates to the matters other than the sanctioning of Cinematographs films for exhibition, is hereby repealed in its application to the State of Uttar Pradesh.

Act II of 1918

(2) Any [rule or order]¹ made under the Cinematograph Act, 1918 and in force immediately before the commencement of this Act, shall continue in force any be deemed to be a [rule or order]¹ made under it is Act; and all appointments made, licences granted, conditions or restrictions, imposed and directions issued under any such [rule or order]¹ and in force immediately before such commencement, shall like wise continue in force and be deemed to be made granted Imposed or issued In pursuance of this Act.

Power to make rules

- 13. (1) The State Government may, [***]² make rules for the purpose of carrying the provisions of this Act into effect.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the forgetting Power, rules made under this Act-
 - (a) for the situation and regulation of the places at which and the conditions subject of which [exhibitions by means of cinematograph or video may be made or video libraries may be kept]⁴;
 - [(aa) for the impose of composition charges not exceeding five Lakh rupees, on payment whereof exemption under section 10 may be granted from the provisions of the rules relating to the site or building to be used for exhibition by means of cinematograph;]⁶
 - (b) for the fees to be levied for grant and renewal of licences for places and cinematograph exhibition; [licenses under this Act;]⁵
 - (c) for fees for inspection of places, electrical and other appliances and installations;
 - (d) for the terms, conditions: and restrictions subject to which licences may be granted ';
 - 1. Ins. by section 4 of U.P. Act No. 27 of 1974.
 - 2. Omit by section 5 (a) ibid.
 - 3. Subs by section 9 (a) of U.P. Act No. 21 of 1986
 - 4. Subs by section 9 (b) ibid.
 - 5. Chapter-II added by section 5 of U.P. Act No. 12 of 1989.
 - 6. Subs. by section 2 of UK Act no 24 of 2016.

[Section 13]

- (e) for inspection, of electric appliances and other installations;
- (f) for the period during .which and which conditions subject to which an appeal under this Act may be preferred.
- [(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made be laid before each House of' the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and-shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.]¹

^{1.} Ins. by section 5 (b) of U.P. Act No. 27 of 1974.